दिनांक 12.10.2017 को आहूत जिला कार्यक्रम अधिकारियों/प्रभारियों की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 12.10.2017 को सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम अधिकारियों/प्रभारियों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, अपर निदेशक(वित्त), निदेशक, राज्य पोषण मिशन, निदेशक (वित्त), राज्य पोषण मिशन, निदेशालय के अधिकारियों और संलग्न सूची के अनुसार जिला कार्यक्रम अधिकारियों/प्रभारियों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। बैठक में योजनाओं/कार्यक्रमों की निम्नानुसार समीक्षा की गयी–

1. **आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण**– बैठक में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण पर गहन समीक्षा की गयी है। चर्चा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद फैजाबाद–02, मेरठ–2, हरदोई–3, प्रतापगढ़–13, बस्ती–07, बागपत–2, इलाहाबाद–25, श्रावस्ती–27, अमरोहा–6, महराजगंज–12, गोण्डा–13, बरेली–13, देवरिया–22, सुल्तानपुर–13, पीलीभीत में 26 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है, जबकि पूर्व बैठक में निर्देशित किया गया था कि माह सितम्बर, 2017 तक समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया जायेगा। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारियों/प्रभारियों द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 20 अक्टूबर तक सभी अनारम्भ केन्द्रों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा निर्देशित किया गया कि जो आंगनबाड़ी केन्द्र पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित गुणवत्ता समिति से परीक्षणोपरान्त हस्तगत कराते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। साथ ही ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण पर होने वाले व्यय का उपभोग प्रमाण पत्र मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपदों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये उपर्युक्त भूमि प्रस्तावों/कार्ययोजना की समीक्षा की गयी। 30 जनपदों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से अनुमोदित कराते हुए कार्य योजना निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी है। 40 जनपदो द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की कार्ययोजना न भेज कर मात्र निर्मित होने वाले केन्द्रों की संख्या प्रेषित की गयी है। शेष 05 जनपद (बागपत, हाथरस, बांदा, इटावा एवं कासगंज) द्वारा उपयुक्त भूमि की उपलब्धता विषयक कोई भी सूचना उपलब्ध नही करायी गयी है। निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 की कार्ययोजना भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्थान पर उपयुक्त भूमि का चयन कर एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी से अनुमोदित कराकर कार्ययोजना निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 तक प्रेषित की जाय ताकि वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु ऑगनबाड़ी केन्द्र भवनो के निर्माण पर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

2. **आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाएं**– जनपदों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल, शौचालय, किचन एवं विद्युतीकरण की सूचना उपलब्ध करा दी गयी है। सचिव महोदया द्वारा जिला

कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल एवं शौचालय की उपलब्धता का चिन्हांकन कर लें तथा पंचायतीराज विभाग से समन्वय स्थापित कर पेयजल एवं शौचालय निर्माण को जनपद की कार्य योजना में शामिल करा दे। अभी तक मात्र 15 जनपदो– बस्ती, बिजनौर, चित्रकूट, गाजियाबाद, हमीरपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मैनपुरी, मु0 नगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, सहारनपुर एवं सुल्तानपुर द्वारा ही पेयजल एवं शौचालय निर्माण को जनपद की कार्ययोजना में शामिल कराया गया है। शेष सभी जनपदो के जिला कार्यकम अधिकारियो को निर्देशित किया गया कि हैण्डपम्प लगवाने एवं शौचायल निर्माण को 30 अक्टूबर, 2017 तक अनिवार्य रूप से जनपद की कार्ययोजना में शामिल कराना सुनिश्चित करे। सचिव, महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि अगली बैठक से उक्त प्रारूप जनपदो की रैकिंग शीट में जुड़ेगा। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर किचन की उपलब्धता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि किचन विभागीय भवनों में ही स्थापित हैं। प्राइमरी स्कूल/पंचायत/ सामुदायिक भवनों एवं पुराने विभागीय भवनों में किचन नहीं हैं। सचिव महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि पुराने 3404 विभागीय आंगनबाड़ी केन्द्र भवन, जहां किचन नहीं है, वहां किचन बनवाने हेतु जनपदों से प्रस्ताव मुख्यालय को नये प्रारूप पर प्रेषित किया जाय। यह भी अवगत कराया गया कि ऑगनबाड़ी केन्द्रो पर विद्युत कनेक्शन हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। प्रस्ताव स्वीकृत होने के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

3. **आधारकार्ड नामांकन**– 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों के आधार नांमाकन लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 62.46 प्रतिशत किया जा चुका है। सचिव, महोदया द्वारा निर्देशत किया गया कि जिन लाभार्थियो का आधार नामांकन शेष रह गया है उनकी सूची निर्धारित प्रारूप पर पी0ओ0आर0(प्रुफ आर रिलेशनशिप) सहित प्रतिनिधि यू0आई0डी0ए0आई0 के ई–मेल rajeevsrivastava@uidai.net.in पर उपलब्ध करा दी जाये। साथ ही प्रतिनिधि यू0आई0डी0ए0आई को निर्देशित किया गया कि जनपदो में कार्यरत अधिकृत वेंडर्स की सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारियो को उपलब्ध करा दी जाये, ताकि आधार नामांकन की गति में प्रगति हो सके।

4. **वजन मशीन**– प्रदेश में क्रियाशील बेबी एवं वयस्क वजन मशीनों की संख्या अपेक्षाकृत कम हैं। निर्देशित किया गया कि महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 के शासनादेश दिनांक 10.08.2017 के द्वारा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (वी0एच0एस0एन0सी0) की निधि से आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु वजन मशीनें क्रय करने के निर्देश निर्गत है। तद्नुरूप जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु वजन मशीनें क्रय कराना सुनिश्चित करें। जिला कार्यकम अधिकारियो/प्रभारियो को निर्देश दिये गये कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वजन मशीन कय करने हेतु जनपद की कार्ययोजना में शामिल करा लिया जाये।

5. **निरीक्षण**– सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी आंगनबाड़ी केन्द्रों, परियोजना कार्यालयो एवं गोदामो का पाक्षिक निरीक्षण कर, निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से निदेशालय को कमशः 18 तारीख एवं 02 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनपद कानपुर, मेरठ, पीलीभीत, आदि द्वारा कोई भी पाक्षिक निरीक्षण निदेशालय को उपलब्ध नही कराया गया है। निर्देश दिये गये

कि निरीक्षण रिपोर्ट के साथ–साथ की गई कार्यवाही का विवरण भी निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

6. **अनुपूरक पोषाहार के वितरण का सत्यापन–** निदेशक द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पोषाहार की प्राप्ति एवं वितरण की प्रमाणन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रति माह 04 तारीख तक निदेशालय को उपलब्ध करा दिया जाये। जनपदो से प्राप्त सूचनाओ से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अनेक बाल विकास परियोजनाओ में पोषाहार का वितरण नही हो पाया है। जिला कार्यक्रम अधिकारियो द्वारा अवगत कराया गया कि ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्रियो द्वारा हड़ताल किये जाने के कारण पोषाहार के उठान में समस्या आ रही है। निर्देशित किया गया कि स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सन्दर्भित प्रकरण का निस्तारण कराना सुनिश्चित करे।

7. **बचपन, ममता एवं लाडली दिवस–** शासनादेश संख्या : 26/2017/17/97/60–2–17–2/1(68)/17 दिनांक 27 जून 2017 द्वारा प्रत्येक माह की 05, 15 एवं 25 तारीख को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर क्रमशः बचपन, ममता एवं लाडली दिवस को जनसहयोग से मनाने के निर्देश दिये गये है। 26 जनपदो द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत रिपोर्टिंग प्रस्तुत की गई है। जनपद श्रावस्ती, लखीमपरु खीरी, कासगंज, पीलीभीत, हाथरस एवं फैजाबाद द्वारा उक्त क्रियाकलापों की कोई भी सूचना निदेशालय को उपलब्ध नही करायी गई है, जबकि अनेक जनपदो द्वारा लक्ष्य के सापेक्षा अपेक्षाकृत कम रिपोर्टिंग प्रस्तुत की गयी है। निर्देश दिये गये कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं क्षेत्रीय मुख्य सेविकाये माह की 05, 15 एवं 25 तारीख को ऑगनबाड़ी केन्द्रो का निरीक्षण कर तथ्यात्मक निरीक्षण रिपोर्ट समयबद्व रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

8. **विलेज मैपिंग एवं रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम** माह अगस्त की मासिक प्रगति रिपोर्ट की आनलाईन फीडिंग की समीक्षा की गई। जनपद–फतेहपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सन्तरविदासनगर, शामली एवं जालौन द्वारा माह अगस्त में एक भी ऑगनबाड़ी केन्द्र की मासिक प्रगति रिपोर्ट फीड नही करायी गई है, जबकि जनपद पीलीभीत द्वारा मात्र एक केन्द्र की मासिक प्रगति रिपोर्ट फीड करायी गई है। सचिव महोदया द्वारा इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि भारत सरकार के स्तर पर इसकी नियमित मानिटरिंग की जा रही है अतः तथ्यात्मक सूचनाये/डेटा ही आनलाइन भरे जायें। साथ ही, जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी अपने जनपद के समस्त ऑगनबाड़ी केन्द्रो की आनलाइन मासिक प्रगति रिपोर्ट शत–प्रतिशत फीड कराना सुनिश्चित करे। ऑगनबाड़ी केन्द्रो की विलेज मैपिंग अधिकांश जनपदो में शत–प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है। जबकि अनेक जनपद यथा शामली, आजमगढ़, रायबरेली, अमरोहा, हरदोई, सन्तरविदासनगर, अमेठी एवं जालौन द्वारा कुछ ऑगनबाड़ी केन्द्रो की विलेज मैपिंग अपडेट नही करायी गयी है। निर्देश दिये गये कि जिन जनपदो में शत–प्रतिशत विलेज मैपिंग नही हुई है, वहां के जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी मुख्यालय पर ही उपस्थित होकर विलेज मैपिंग अपडेट कराना सुनिश्चित करे।

9. **स्निप अन्तर्गत सामुदायिक गतिविधियां एवं आई0एल0ए0 ट्रेनिंग–** विश्व बैंक द्वारा सहायतित स्निप कार्यक्रम के अन्तर्गत 41 जनपदों में सामुदायिक गतिविधियां यथा–गोद भराई एवं अन्नप्राशन

का आयोजन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कराया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारियो को निर्देशित किया गया कि आई0एल0ए0 प्रशिक्षण के मद में किये गये व्यय का उपभोग प्रमाण पत्र मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया जायें। मात्र 10 जनपदो–रामपुर, फतेहपुर, बांदा, आजमगढ़, बाराबंकी, गाजियाबाद, सिद्वार्थनगर एवं चन्दौली द्वारा ही समायोजन उपलब्ध कराया गया है, शेष जनपदो का समायोजन अप्राप्त है। अनेक जनपद ऑगनबाड़ी केन्द्रो पर अन्नप्राशन एवं गोदभराई के कियाकलापो के आयोजन की सूचना तो उपलब्ध कराते है किन्तु उसके सापेक्ष अग्रिम धनराशि तत्समय आहरित नही कर रहे है। जनपद महोबा में 517 ऑगनबाड़ी केन्द्रो पर कियाकलाप कराये गये, किन्तु 663 केन्द्रो पर कियाकलापो हेतु धनराशि आहरित की गयी है। इसी प्रकार जनपद रायबरेली में 2474 केन्द्रो पर गतिविधियो हेतु धनराशि आहरित की गयी, जबकि 2300 केन्द्रो पर ही गतिविधियां की गयी। स्थिति ठीक नही है। यह भी निर्देश दिये गये कि माह नवम्बर, 2017 में भारत सरकार की टीम द्वारा आई0एल0ए0 (इन्कीमेण्टल लर्निंग एप्रोच) का वेरीफिकेशन किया जाना है। सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारियो/प्रभारियो को निर्देशित किया गया कि वे अपने सारे प्रारूप/सूचनाये तैयार रखे ताकि सत्यापन में कोई समस्या न आये। यह भी निर्देशित किया गया है कि स्निप के अन्तर्गत आच्छादित जनपद निर्धारित तिथि पर समायोजन का बिल जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

10. <u>सबला एवं किशोरी शक्ति योजना</u>–निदेशक, बाल विकास एवं सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा निर्देश दिये गये कि सबला योजनान्तर्गत चयनित किशोरी बालिकाओ के नाम कौशल विकास कार्यक्रम में पंजीकृत करा दे ताकि 22 जनपदो में किशोरियो को कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जा सके।

11. <u>आई0जी0आर0एस0</u>–बैठक में आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर आनलाइन सूचनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा लम्बित शिकायतों की संख्या अलग–अलग दर्शायी गयी। निर्देश दिये गये कि आई0जी0आर0एस0 की निदेशालय से लम्बित सन्दर्भों की सूचना का मिलान करा लें। जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा अन्तरित सन्दर्भों को अलग से रखा जाय। साथ ही आई0जी0आर0एस0 में लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय। जिला कार्यक्रम अधिकारियो/प्रभारियो को यह भी निर्देश दिये गये कि निदेशालय स्तर से जिला कार्यक्रम अधिकारियो को सन्दर्भित सन्दर्भो का जनपद स्तर पर सम्पर्क स्थापित कर शिकायतो का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाय।

12. <u>पी0एफ0एम0एस0–</u> निर्देशित किया गया कि पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के अन्तर्गत डाटा की शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाय। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें, क्योंकि उनके द्वारा डिजिटली साइन किये जाने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ करायी जाती है। फेल्ड ट्रांजैक्शन के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित के बैंक एकाउण्ट चेक करा लिये जायं तथा बैंकों से सम्पर्क कर इन खातों को चालू करा दिया जाय, जिससे फेल्ड ट्रांजैक्शन की नौबत न आये। प्रत्येक माह की 2

तारीख तक जिन संशोधनों के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी अधिकृत हैं, उन्हें अपडेट कर दिया जाय। आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री के आधार नम्बर/डेट ऑफ बर्थ/मोबाइल नम्बर का शत–प्रतिशत सही–सही अंकन करा लिया जाय, जिससे इन्हें आधार लिंक कराया जा सके।

13. **लम्बित न्यायालय वाद**–मा0 न्यायालय में लम्बित वादों में जनपद श्रावस्ती में 15, अम्बेडकरनगर में 10, हाथरस में 9, गाजीपुर, शाहजहॉपुर, कासगंज एवं कुशीनगर में 8–8 प्रकरणों में काउंटर दाखिल नहीं किया गया है। सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि न्यायालय में लम्बित समस्त प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप कराना सुनिश्चित करें।

14. **बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति**–आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं परियोजना कार्यालयों के भवन किराया भुगतान की समीक्षा की गयी। अवगत कराया गया कि बाल विकास परियोजना कार्यालयो के लम्बित प्रकरणो का समाधान कर लिया गया है। जिलाधिकारी के हस्ताक्षर की तिथि से ही उक्त कार्यालय को स्वीकृत मान लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र भवनो के किराये के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। निर्देश दिये गये कि जिला कार्यकम अधिकारी/प्रभारी शासनादेश के अनुसार ऑगनबाड़ी केन्द्रो के निर्धारित किराये का भुगतान प्रतिमाह कराना सुनिश्चित करे।

इसी प्रकार परियोजना कार्यालय से आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पोषाहार ले जाने के लिए पोषाहार ढुलाई की धनराशि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को निर्धारित मानक के अनुसार भुगतान कराये जाने की व्यवस्था है। मात्र पुष्टाहार ढुलाई मद में जनपद बाराबंकी एवं पीलीभीत द्वारा ही व्यय किया गया है। शेष जनपदो द्वारा कोई भी भुगतान नही किया गया है। निर्देश दिये गये कि जिला कार्यकम अधिकारी/प्रभारी अपने जनपद में समीक्षा बैठक कर पोषाहार ढुलाई से सम्बन्धित प्रकरणो का निस्तारण कराये तथा नियमित रूप से पोषाहार ढुलाई का भुगतान कराना सुनिश्चित करे।

15. **अन्य बिन्दु**–

(1) जिला कार्यक्रम अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्मिको के सम्पत्ति का विवरण मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

(2) जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 50 वर्ष से उपर के कार्मिको की गोपनीय आख्या जनपदो से अप्राप्त है। उक्त आख्या तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

(3) कतिपय जनपदो यथा एटा, बांदा, रायबरेली, महराजगंज, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, शामली, लखीमपुर खीरी, सिद्वार्थनगर, गोरखपुर, सुल्तानपुर, इटावा, बरेली, आजमगढ़, सीतापुर, फतेहपुर एवं अलीगढ़ के जिला कार्यकम अधिकारियो/प्रभारियो द्वारा समीक्षा बैठक में स्वंय प्रतिभाग न करके अपने प्रतिनिधि को भेजा गया, जिस पर सचिव, महोदया द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा अनुपस्थित जिला कार्यकम अधिकारियो/प्रभारियो से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। आगामी समीक्षा बैठक में जिला कार्यकम अधिकारी/प्रभारी स्वंय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेगे।

(4) निर्देश दिये गये कि पोषाहार भुगतान मे बाल विकास परियोजना अधिकारी से प्राप्त बिल बाउचर को जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतिहस्ताक्षरित कर मुख्यालय को उपलब्ध करायेगे।
(5) गंगा के पुनरोद्धार हेतु गंगा के किनारे के जनपदो में संचालित ऑगनबाड़ी केन्द्रो पर शौचालय की उपलब्धता विषयक सूचना निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित जनपदो को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

अन्त में, सभी उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

संलग्नकः– जनपदो की रैंकिंग की सूची।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः C-1764 /बा0वि0परि0/अनु0–बैठक/2017–18, **दिनांक :** 18 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), बेसिक शिक्षा, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार/महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0।
3. निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
6. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

18/10/17
(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक